पटना में दिनांक–20 दिसम्बर, 2022 मंगलवार को अपराह्न 04:30 बजे हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	
1.	बिहार राज्य में जंगली जानवरों द्वारा जानमाल की क्षति किये जाने पर पीड़ितों को सहाय्य राशि के भुगतान हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभागीय संकल्प संख्या–421(ई०) दिनांक–05.09.2015 में किये गए प्रावधानों को स्पष्ट करने हेतु निर्गत संकल्प संख्या–1125(ई०) दिनांक–23.09.2020 की कंडिका–'क', 'ग' एवं 'घ' में वन्य जीव 'गौर' (Indian Bison-Bos garurus) को शामिल किये जाने के संबंध में।	**1. स्वीकृत**
	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	
3.	बिहार सर्वेक्षण कार्यालय लिपिकीय संवर्ग (भर्त्ती/प्रोन्नति एवं सेवा शर्त्त) नियमावली – 2022 की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।	**3. स्वीकृत**
	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	
4.	बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन (संशोधन) नियमावली, 2022 की स्वीकृति के संबंध में।	**4. स्वीकृत**
	वित्त विभाग	
5.	लोक वित्त एवं आर्थिक नीति केन्द्र के स्थान पर बिहार राज्य के लिए बिहार लोक वित्त एवं नीति संस्थान (Bihar Institute of Public Finance and Policy) की स्थापना के संबंध में।	**5. स्वीकृत**

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

6. तारामंडल, पटना के प्रोजेक्शन सिस्टम के आधुनिकीकरण एवं उन्नयन सहित आवश्यक सिविल, इलेक्ट्रीकल कार्य तथा नया Optical Telescope के अधिष्ठापन के लिए कुल स्वीकृत राशि रू० 3613.20 लाख (छत्तीस करोड़ तेरह लाख बीस हजार रूपये) मात्र के अधीन नेशनल काउंसिल ऑफ साईंस म्यूजियम्स [National Council of Science Museums (NCSM)] के माध्यम से तारामंडल, पटना के प्रथम तल पर परामर्शी शुल्क सहित कुल रू० 240.00 लाख (दो करोड़ चालीस लाख रूपये) मात्र की लागत से खगोल एवं अंतरिक्ष विज्ञान (एस्ट्रोनोमी एण्ड स्पेस विज्ञान) गैलरी के निर्माण की स्वीकृति तथा उक्त राशि बिहार काउन्सिल ऑन साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, पटना को विमुक्त करने के संबंध में। — **6. स्वीकृत**

शिक्षा विभाग

7. राज्य के चिन्हित 2803 प्रारंभिक विद्यालयों में निर्धारित विशिष्टताओं एवं दर के अनुरूप विद्यालय शिक्षा समिति के माध्यम से बेंच–डेस्क क्रय हेतु ₹50,00,00,000/–(पचास करोड़ रूपये) की स्वीकृति के संबंध में। — **7. स्वीकृत**

सामान्य प्रशासन विभाग

8. बिहार समाहरणालय लिपिकीय संवर्ग (भर्ती एवं सेवाशर्तें) नियमावली, 2011 में संशोधन की स्वीकृति। — **8. स्वीकृत**

गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

9. बिहार पुलिस के सुदृढ़ीकरण हेतु बढ़ती जनसंख्या के अनुपात में आवश्यकता आधारित सीधी नियुक्ति के 48447 पद एवं ERSS द्वितीय चरण के 19288 पद सहित पुलिस कर्मियों के कुल 67735 विभिन्न पदों के सृजन के संबंध में। — **9. स्वीकृत**

गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

10. आपात अनुक्रिया एवं सहयोग प्रणाली (Emergency Response Support System (ERSS) Dial-112 के प्रथम चरण हेतु पुलिस संवर्ग एवं गैर पुलिस संवर्ग के कुल 7808 पदों के सृजन के संबंध में। — **10. स्वीकृत**

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग
(निबंधन)

11. निबंधन कार्यालय, परसा, सोनपुर, पूर्णियाँ, बनमनखी, समस्तीपुर, दलसिंहसराय, रोसड़ा, बिहटा एवं दानापुर का क्षेत्राधिकार पुनर्निधारण का प्रस्ताव। — **11. स्वीकृत**

स्वास्थ्य विभाग

12. डा0 जय कुमार सुमन, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, औरंगाबाद को दिनांक–02.07.2016 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में। — **12. स्वीकृत**

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

13. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (2013 का 20) की धारा–08 के साथ पठित धारा–39 की उपधारा (2) के खंड–(ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियम के तहत हकदार व्यक्तियों को खाद्यान्न की आपूर्ति न होने की दशा में खाद्य सुरक्षा भत्ता के भुगतान के संबंध में। — **13. स्वीकृत**

वित्त विभाग

14. वित्तीय वर्ष 2022–23 के प्रभाव से सामान्य भविष्य निधि अंशदान पर एक वित्तीय वर्ष में रू0 पांच लाख की ऊपरी सीमा निर्धारित करने हेतु बिहार सामान्य भविष्य निधि नियमावली, 1948 के नियम 11(1)(ख) में संशोधन करने के संबंध में। — **14. स्वीकृत**